न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्री डूँगरगढ
मुकदमा नम्बर 31 ए/2017 निर्णय दिनांक 16.12.2019
किसनादेवी धर्मपत्नी स्व. भिगाराम 2 मंगलाराम 3 ईशरराम 4 दूलाराम 5 पदमाराम पुत्रगण भिगाराम मेघवाल निवासी बाडेला तहसील श्री डूँगरगढ जिला बीकानेर

-------वादीगण

बनाम

1 मूलाराम पुत्र उमाराम 2 जड़ावदेवी पत्नी किरताराम 3 मांगीलाल 4 करणाराम 5 सुरजा 6 सोनी 7 भींवा 8 गोपी पुत्र पुत्रियां किरताराम 9 हेतराम 10 श्रीरामाराम पुत्रगण बन्नाराम उर्फ बनिया 11 संतोष पत्नी पेमाराम 12 मिरगा पत्नी फुसाराम 13 तारूराम 14 लिछाराम 15 शांति 16 पिरू 17 सीता 18 तीजा 19 रामी पुत्र पुत्रियां फूसाराम मेघवाल निवासीगण बाडेला तहसील श्रीडूँगरगढ जिला बीकानेर 20 स्टेट जरिये तहसीलदार, श्री डूँगरगढ 21 शाखा प्रबन्धक बडौदा राजस्थान धनेरू 22 शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक, श्री डूँगरगढ 23 शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेषनल बैंक शाखा

---प्रतिवादीगण

उपस्थिति–

1 श्री बाबूलाल दर्जी अधिवक्ता वादी की तरफ से ।
2 श्री मांगीलाल नैण अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 1, 9 से 10, 12 से 14 की तरफ से ।
3 प्रतिवादी संख्या 2 से 8, 11, 15 से 19 के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही
4 पैरोकार राज स्टेट की तरफ से ।

वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह वाद इस न्यायालय में किसनादेवी ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 19 ग्राम बाडेला तहसील श्री डूँगरगढ के मूल निवासी है । वादीगण वं प्रतिवादी संख्या 1 से 11 व 12 ता 19 के पिता/पति फुसाराम की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 526 तादादी 5.92 हैक्टयर, खसरा नम्बा 528 तादादी 12.29 हैक्टयर व खसरा नम्बर 641 तादादी 1.48 हैक्टयर वाके रोही मौजा बाडेला तहसील श्री डूँगरगढ का वादीगण का 3/20 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 3/20 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 का 3/20 हिस्सा, प्रतिवाद संख्या 9 व 10 का 21/160 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 11 का 3/160 हिस्सा, व प्रतिवादी संख्या 12 ता 19 के पति/पिता का 3/20 हिस्सा व इसी प्रकार खेत खसरा नम्बर 267 तादादी 14.45 हैक्टयर, खसरा नम्बर 640 तादादी 4.81 हैक्टयर रोही मौजा बाडेला तहसील श्री डूँगरगढ में वादीगण 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख 2 ता 8 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 व 10 का 7/40 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 11 का 1/40 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 12 ता 19 के पति/पिता का 1/5 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं । चूंकि प्रतिवादी संख्या 12 ता 19 के पति/पिता फूसाराम का देहान्त हो चुका है इसलिए फूसाराम के वारिसानों को प्रतिवादी संख्या 12 ता 19 के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है । वादीगण वादगत खेतों में अपना राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा सदामद से ही अदल बदल कर काश्त करते चले आ रहे है । वादगत खेतों का विधिवत रूप से विभाजन

उपखण्ड अधिकारी डूँगरगढ (बीकानेर)

अधिकारी
गढ (बीकानेर)

Scanned by CamScanner

नहीं होने के कारण वादगत खेतों की खातेदारी संयुक्त चली आ रही है । खातेदारी संयुक्त होने के कारण वादीगण वादगत खेतों में अपने हिस्सा भूमि में सुधार कार्य नहीं करवा पा रहे है । अपने खातेदारी हिस्सों की भूमि पर ऋण आदि लेने में परशानियां पैदा हो रही है, सुधार कार्य करने से वंचित हो रहे है । वादीगण अपने हिस्सा की वादगत खेत शुरू से ही अविभाजित चले आ रहे है । वादीगण अपने हिस्सा की भूमि को प्रत्येक वर्षबदल बल कर काश्त करते चले आ रहे है । वादगत खेत का विधिवत रूप से रिकार्ड में विभाजन नहीं किया हुआ है, वादगत खेत की रिकार्ड में खातेदारी संयुक्त रूप से चली आ रही है । वादगत खेत की खातेदारी संयुक्त चली आने से वादीगण को अपने हिस्सा की भूमि पर सुधार कार्य करवाने व अपने हिस्सा भूमि पर ऋण आदि लेने में कई प्रकार की परशानियां पैदा हो रही है । वादीगण ने प्रतिवादीगण से वादगत खेत का विधिवत रूप से खाता विभाजन करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण आज कल आजकल का कहकर टालम–टोल का प्रति उत्तर देते रहे तथा जानबूझकर वादगत खेत का खाता विभाजन नहीं करवा रहे है । इसलिए वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध खाता विभाजन बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर करने हेतु उक्त दावा प्रस्तुत किया जा रहा है । प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 ने वादगत खेत को बिना विभाजन करवाये विक्रय, हस्तान्तरण करने व वादीगण को उसके कब्जा काश्त की हिस्सा भूमि से बेदखल करने की धमकी दी है इसलिए प्रतिवादीगण के विरूद्ध उक्त दावा विभाजन व चिरनिषेधाज्ञा के अनुतोष प्राप्ति का प्रस्तुत किया जा रहा है । अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि–

(क) खेत खसरा नम्बर 526 तादादी 5.92 हैक्टयर, खसरा नम्बा 528 तादादी 12.29 हैक्टयर व खसरा नम्बर 641 तादादी 1.48 हैक्टयर वाके रोही मौजा बाडेला तहसील श्री डूॅगरगढ वादीगण का 3/20 हिस्सा व इसी प्रकार खेत खसरा नम्बर नम्बर 267 तादादी 14.45 हैक्टयर, खसरा नम्बर 640 तादादी 4.81 हैक्टयर रोही मौजा बाडेला तहसील श्री डूॅगरगढ में वादीगण 1/5 हिस्सा भूमि को राजस्व रिकार्ड में बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर कब्जा काष्त अनुसार खाता विभाजन किया जाकर रिकार्ड में अंकन करने का आदेष प्रतिवादी संख्या 20 को दिया जावे व लगान जुदा जुदा कायम किया जावें ।

(ख) प्रतिवादीगणों को जरिये चिरनिषेधाज्ञा से वर्जित फरमाया जावे कि वो खेत खसरा नम्बर 526 तादादी 5.92 हैक्टयर, खसरा नम्बा 528 तादादी 12.29 हैक्टयर व खसरा नम्बर 641 तादादी 1.48 हैक्टयर वाके रोही मौजा बाडेला तहसील श्री डूॅगरगढ वादीगण का 3/20 हिस्सा व इसी प्रकार खेत खसरा नम्बर नम्बर 267 तादादी 14.45 हैक्टयर, खसरा नम्बर 640 तादादी 4.81 हैक्टयर रोही मौजा बाडेला तहसील श्री डूॅगरगढ में वादीगण 1/5 हिस्सा भूमि में वादीगण के कब्जा काष्त उपयोग एवं उपभोग में किसी भी प्रकार से बाधा विघ्न उत्पन्न न करें, वादीगण की फसल को खुर्द बुर्द न करें, वादीगण को बेदखल न करें, वादगत खेत को बिना विभाजन करवाये विकय, बैय, हस्तान्तरण आदि न करें तथा ऐसा कोई कृत्य या अकृत्य नहीं करें जिससे वादीगण के वैध अधिकारों पर विपरीत असर पडता हों ।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादी संख्या 1, 9 से 10, 12 से 14 की तरफ से

उपखण्ड अधिकारी ... (बीकानेर)

... अधिकारी ... (बीकानेर)

Scanned by CamScanner

अधिवक्ता उपस्थित हुए परन्तु दिनांक 22.11.2019 को हिदायत पैरवी नहीं का नोट अंकित कर पैरवी से इंकार किया । प्रतिवादी संख्या 2 से 8 11, 15 से 19 को जरिये सम्मन तामिल करने के बावजूद अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध 1 से 15 के रहने के कारण इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई ।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों को अवलोकन किया गया जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या नया 399 के खसरा नम्बर 526 तादादी 5.92 हैक्टयर, खसरा नम्बा 528 तादादी 12.29 हैक्टयर व खसरा नम्बर 641 तादादी 1.48 हैक्टयर वाके रोही मौजा बाडेला तहसील श्री डूँगरगढ वादीगण का 3/20 हिस्सा व इसी प्रकार खाता संख्या 63 के खेत खसरा नम्बर नम्बर 267 तादादी 14.45 हैक्टयर, खसरा नम्बर 640 तादादी 4.81 हैक्टयर रोही मौजा बाडेला तहसील श्री डूँगरगढ के रिकार्डेड खातेदार होने के कारण एवं अभी तक वादी प्रतिवादी का खाता विभाजन नहीं होने के कारण वाद स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है ।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 526 तादादी 5.92 हैक्टयर, खसरा नम्बा 528 तादादी 12.29 हैक्टयर व खसरा नम्बर 641 तादादी 1.48 हैक्टयर वाके रोही मौजा बाडेला तहसील श्री डूँगरगढ वादीगण का 3/20 हिस्सा व इसी प्रकार खेत खसरा नम्बर नम्बर 267 तादादी 14.45 हैक्टयर, खसरा नम्बर 640 तादादी 4.81 हैक्टयर रोही मौजा बाडेला तहसील श्री डूँगरगढ में वादीगण 1/5 हिस्सा भूमि को राजस्व रिकार्ड में बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के आधार वादीगण का खाता विभाजित किया जाता है । शेष खातेदारों का खाता यथावत रखा जाता है । तहसीलदार, श्री डूँगरगढ मौके पर पहुंच कर विभाजन के नियम 18 से 21 को ध्यान में रखते हुए, कब्जा काश्त के अनुसार वादी प्रतिवादी के खेतों में आने जाने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव पेश करें । प्राथमिक डिक्री जारी हों ।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2019 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया । पत्रावली बाद निर्णय बाद दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों ।

निर्णय सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ

Scanned by CamScanner